न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 71/2011

RCMS No. 2011/00044

प्रार्थीः—	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः—**
जीयादेवी पुत्री अमराराम निवासी कुशालपुरा हाल करमावास पट्टा तहसील सोजत		1. सायरीदेवी पत्नी नारायणलाल जाति देवासी निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर 2. चौथा पुत्री नारायणलाल जाति देवासी निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर 3. सरपंच ग्राम पंचायत कुशालपुरा तहसील रायपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति —

श्री जगदीश चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांकः—26/3/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, कुशालपुरा द्वारा मिसल संख्या 45/2010, संकल्प संख्या 24 दिनांक 19.11.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 007339 दिनांक 04.04.2011 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीया का पुश्तैनी मकान एवं बाडा ग्राम कुशालपुरा में आया हुआ स्थित है। प्रार्थीया के बाडे के उत्तर में हुकारजी देवासी का मकान व प्लॉट, दक्षिण में हीराजी देवासी का मकान व प्लॉट, पूर्व में गोकुलजी कुमार का प्लोट व पश्चिम में बास में जाने का आम रास्ता व प्लॉट का निकाल स्थित है। उक्त प्लॉट का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर अपने हिस्से से अधिक भूमि का पट्टा बना दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया है। नियम 157 ख के अनुसार पंचायत उसी व्यक्ति को पट्टा जारी कर सकती है, जिसका 50 वर्षो पुराने बने मकान पर कब्जा हो, किन्तु मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आज्ञापक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। जो खारिज किया जावे। अतः निगरानी स्वीकार की जावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज किया जावे।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत कुशालपुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, कुशालपुरा द्वारा मिसल संख्या 45/2010, संकल्प संख्या 24 दिनांक 19.11.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 007339 दिनांक 04.04.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सायरीदेवी पम्नी नारायणलाल जाति देवासी निवासी कुशालपुरा द्वारा अपने आवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सरपंच द्वारा पत्रावली आगामी कोरम में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 20.07.2010 को मिसल कायम की गई। इसके पश्चात दिनांक 05.08.2010 को वांछित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंच श्री मंगाराम, श्री अमराराम व श्री चम्पासिंह की कमेटी मनोनीत की गई। उक्त आदेश की पालना में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें कमेटी ने प्रार्थीया का पुश्तैनी कब्जासुदा मकान/बाडा स्थित होना बताया। इसके पश्चात दिनांक 20.08.2010 को कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। इस आदेश की पालना में दिनांक 20.08.2010 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो रूबरू मौतबिरान मौके पर चस्पा किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 20.09.2010 को दो गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 05.10.2010 को गवाह श्रवणराम व गिरधारीलाल के बयान कलमबद्ध किए गए, जिसमें गवाहों ने उक्त भूमि पर सायरीदेवी का आवासीय मकान होना जाहिर किया। इसके पश्चात बैठक दिनांक 19.11.2010 को प्रस्ताव संख्या 24 की पालना में नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए।

पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल के प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। जिस प्रारूप (प्रफोर्मा) में कई स्थान रिक्त है। इसके अतिरिक्त जो बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया है, उसमें मात्र दिनांक 19.11.2010 का विवरण ही अंकित है। ये समस्त तथ्य जैर निगरानी आज्ञा जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाते है। इस कारण तथ्यों के समुचित निर्धारण एवं विधि अनुसार पुनः जांच एवं प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे वास्तविक तथ्यों अनुसार यथोचित कार्यवाही हो सके। इस हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, कुशालपुरा द्वारा मिसल संख्या 45/2010, संकल्प संख्या 24 दिनांक 19.11.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 007339 दिनांक 04.04.2011

अति० जिला कलेक्टर, पाली

को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत कुशालपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 26/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली